Knowledgeable Research –Vol.1, No.6, *January 2023*

Web: http://www.knowledgeableresearch.com/

अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म एवं सुशासन की वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ0 हेमराज सैनी
सहायक आचार्य, संस्कृत
राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी
ईमेल: hemrajsaini2011@gmail.com

****

शोध सार–

यथा हस्ति पदे पदानि सर्वसत्व जानि।

तथैव राजधर्मेषु सर्वे धर्मों समाविशान्ति।। (महाभारत, शान्तिपर्व)

अर्थात जैसे हाथी के पैर में सबका पैर जाना जाता है, उसी प्रकार राजधर्म में भी सभी धर्मों का समावेश जानना चाहिए। यदि राजधर्म विकारग्रस्त हुआ तो लोक में प्रचलित चतुर्वर्ण व्यवस्था, चार आश्रम एवं राज्य की सभी व्यवस्थाऐं नष्ट हो जायेगी। राजधर्म को स्थापित करके ही राज्य को सुरक्षित एवं सजीव किया जा सकता है। कौटिल्य का ध्येय एक ऐसे राष्ट्रराज्य की स्थापना करना है। जिसकी शासन व्यवस्था बाह्य रूप में राजतंत्रात्मक होने पर भी आंतरिक रूप में लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो। यही कारण है कि कौटिल्य की निरंकुश व्यवस्था में प्रजातांत्रिक विचारों का आश्चर्यमय समनव्य था।

Key Words- अर्थशास्त्र, राजधर्म, सुशासन, प्रजापालन, राजा, मंत्रिपरिषद्, मण्डल सिद्धान्त, धर्मशास्त्र।

****

मूल शोध पत्र–

राजधर्म पर महाभारत, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एवं पुराणशास्त्रों में व्यापक उल्लेख किया गया है। राजधर्म का अर्थ राजा के कर्तव्य एवं कार्यों से है। राजधर्म के पालन से ही चतुष्कोणिय सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। राजधर्म के महत्त्व को लेकर मनु का दृष्टिकोण है कि इसका अनुपालन न करने पर दण्ड का प्रकोप होता है और अन्ततोगत्वा राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहाँ जा सकता है कि राजधर्म का सम्बन्ध किसी धर्म विशेष से नहीं है, राजा का व्यक्तिगत धर्म राज्य में रहने वाले नागरिकों के धर्म से पृथक भी हो सकता है। चद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहां जाता है कि उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, जबकि अधिकांश प्रजा हिन्दु थी। अशोक भी प्रथमतः जैन धर्म की और आकृष्ट हुआ। फिर भी उसने बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सार रूप में अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य एवं समाज को अनुशासित बनाये रखने हेतु कौटिल्य राजा को विधि विधान के बन्धन से अनुशासित करता है।

कौटिल्य ने समाज को राजधर्म के नियमों से व्यवस्थित किया है। इसके अनुपालन से त्रयी (साम, ऋक्, यजु) में निरूपित धर्म का पालन करने से चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शुद्र), चारों आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संयास) के साथ ही लोक का उपकार होता है। कौटिल्य का कथन है कि प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक आश्रम किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, सत्य बोले, पवित्र आचरण करें, किसी से ईर्ष्या न करें और दयावान तथा क्षमाशील बने। कौटिल्य ने

राजा पर जनकल्याण का अंकुश लगाया है। उसने आशा प्रकट की है कि जनस्वीकृति से अस्तित्व में आया राजा ही सदैव स्वयं को बनाये रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। कौटिल्य ने राजकोष पर जनता का नियंत्रण माना है। उसकी स्पष्ट मान्यता थी की बिना जन स्वीकृति के राजा प्रजा पर नया कर नहीं लगा सकता। इसी तरह वह कर संग्रहण में देश, जाति एवं आचरण का भी ध्यान रखें–

अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः।

पण्यनां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः।।1

प्राचीन भारतीय राज्य पुलिस राज्य नहीं था। एन.सी. बन्दोपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि हिन्दुओं ने सरकार के संरक्षणात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यों के साथ कुछ ऐसे सक्रिय कर्तव्यों पर भी जोर दिया है जो कि जनता के मानविय अस्तित्व हेतु भौतिक आदर्शों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो।2

स्वधर्म का सरल भाषा में अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य की पालना करना। स्वधर्म कि पालना न करने से सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। अतः इस मत्स्य न्याय से प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यथा–

तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्।

स्वधर्मं संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति।।

व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः।

=य्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति।।3

प्रजा के जानमाल की रक्षा करना राजा का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है। राज्य की प्रगति बहुत कुछ सुशासन पर निर्भर करती है। व्यापार एवं व्यवसाय के बिना राज्य की आर्थिक स्थिति क्षीण हो जायेगी। यथा–

तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम्।

अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः।।

अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च।

प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसम्पदम्।।4

अतः राजा का दायित्व है कि वह उद्योगशील होकर व्यवहारसंबन्धी तथा राज्य संबन्धी कार्यों को उचित रीति से पुरा करें।

न्याय प्रक्रिया का उचित संचालन भी राजा का महत्त्वपूर्ण राजधर्म है। नियमों, कानूनों एवं व्यवस्थाओं के अनुकूल न्याय हो और इसमें किसी प्रकार का भेद भाव न हो। अर्थशास्त्र में कहां गया है कि न्याय करते समय राजा को अपने पुत्र और शत्रु के बीच में कोई विभेद नहीं करना चाहिए। अपराध की गंभीरता को परखते हुए एवं अपने तथा पराये में

भेद किये बिना राजा को दण्ड देना चाहिए। राजा की दण्डव्यवस्था के समुचित पालन से ही सम्पूर्ण लोक मर्यादित रहता है। यथा–

चतुर्वर्णाश्रमों लोको राज्ञा दण्डेन पालितः।

स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु।।5

सन्यासियों के आचरण की और ध्यान देना भी राजा का कर्तव्य बताया गया है। यतोहि उन्हे भी राज्याश्रेय मिलता है। अतः आचरण भ्रष्ट होने पर उन्हें दण्डित करने का राजा को अधिकार है। कौटिल्य ने वानप्रस्थी का राजधर्म भी उल्लेखित किया है। यथा–

वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौं शय्या जटाऽजिनधारणमग्निहोत्राभिषेकौ देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्वाहारः।6

अर्थात् ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, भूमि पर श्यन करना, जटा मृगचर्म को धारण करना, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना, देव पितृ एवं अभ्यागतों की सेवा पूजा करना आदि कार्यों का उल्लेख किया गया है।

विपदाओं से रक्षा करना भी राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। बाढ़, अग्नि, आक्रमण, आक्रान्त महामारियों, जंगली जानवरों के उतपात आदि अनेक विपदाओं से पुत्र के समान प्रजा का संरक्षण करना भी राजा का राजधर्म है। यथा–

परचक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीड़ितम्।

देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीड़ाश्व वारयेत्।।

दण्डविष्टिकराबाधैः रक्षेदुपहतां कृषिम्।

स्तेनव्यालविषग्राहैर्व्याधिभिश्च पशुव्रजान्।।7

इसी प्रकार संतानहीन एवं पुत्रवती अनाथ स्त्रियों तथा उनके बच्चों की भी रक्षा करना राजा का राजधर्म है। अर्थशास्त्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं का अनुसरण करते हुए ही आज की लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा प्रजा के संरक्षण हेतु अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं– इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, सुपोषित माँ अभियान, निरोगी अभियान, आयुषमान भारत, राष्ट्रीय पोषण योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

कौटिल्य ने राजा की जो दैनिक चर्या निर्धारित कि है उससे लगता है कि राजा का सम्पूर्ण समय राज कार्य हेतु है। उसका निजी जीवन नहीं के बराबर है। दिन के 12 घण्टों मे से केवल 1 1/2 घण्टा उसके मनोरंजन के लिए है। रात्रि को कौटिल्य ने 8 भागों में विभाजित किया है जिसमें से केवल 1 भाग अर्थात् 1 1/2 घण्टा उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। राजा के सोने और आराम करने के लिए कौटिल्य ने केवल 3 घण्टे निर्धारित किये है। दूसरे शब्दों में राजा का सम्पूर्ण समय प्रजाहित के लिए ही है।8

इसी तरह उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन स्थापित करना, दान देना, शत्रु और मित्रों में उनके गुण दोषों के अनुसार समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना, यह सब राजा के नैमितिक राजधर्म बताये गये है। यथा–

राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्।

दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम्।।9

न्याय की स्थापना करना, राज्य में व्यवस्था बनाये रखना एवं प्रजा की रक्षा करना, इन कर्तव्यों की पालना करने से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में असर्मथ है अथवा सामाजिक व्यवस्था को भंग करता है वह दण्ड का भागीदार होता है।10

कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुशासन की दृष्टि से भी अनुपम ग्रन्थ है। मंत्री परिषद् एवं अधिकारियों के बारे में इसमें प्रर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कहीं पर भी निश्चित नहीं की गई है। आवश्यकतानुसार यह घटाई बढ़ाई जा सकती है। कौटिल्य का सुझाव है कि राजा को 3 अथवा 4 मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हेतु 3 विधियों के अनुपालन की राजा से अपेक्षा की गई है। यथा–

प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृतिः। स्वयंदृष्टं प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षं, कर्मसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमेयम्।11

अर्थात प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय इन विधियों के माध्यम से राजा अमात्यों की नियुक्ति करें एवं कार्यक्षमता के अनुसार ही उनके कार्यों को आवंटित करें। परीक्षित अमात्यों की नियुक्ति के बारे में अर्थशास्त्र में राजा को निर्देशित किया गया है कि जो अमात्य धर्मपरीक्षा में खरे उतरे उन्हे धर्मस्थानिय (दिवानी कचहरी) तथा कण्टकशोधन (फोजदारी कचहरी) सम्बन्धि कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। अर्थपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को समाहर्ता (टेक्स कलक्टर) तथा सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर रखना चाहिए। भय परीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे। यथा–

तत्र धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थोपधाशुद्धान् समाहर्तृसन्निधातृनिचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तरविहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः। सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात्।12

सुशासन में उल्लेखित शासन का तात्पर्य राजाज्ञा है। राजा का मुख्य काम शासन करना है। इसलिए अमात्य के सम्पूर्ण गुणों से युक्त, उत्तम भाषा तथा पद शीघ्र ही बनाने वाला, प्रशस्त लिपि लिखने वाला तथा दूसरों के लेख को शीघ्र ही पढ़ने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्त करने हेतु आदेशित किया गया है। कौटिल्य का कथन है कि जिसके

लेख में अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्य एवं स्पष्टता यह 6 प्रकार की योग्यताऐं युक्त हो वही लेखक शासनाधिकार के योग्य है।

राज्य शासन के सुचारू संचालन के लिए कौटिल्य ने अश्वशालाध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सुत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, नावध्यक्ष, गोध्यक्ष, पत्यध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, विवीताध्यक्ष आदि अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार राज्य के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कौटिल्य ने नागरिकों को दण्ड विधान पूर्वक अनुशासित रखने का प्रयत्न किया है। सड़क पर मिट्टी, कूड़्डा करकट डालने वाले व्यक्ति को पण का 8 वां हिस्सा के दण्ड का विधान किया गया है। जो व्यक्ति गाड़ी, किचड़ या पानी से सड़क को रोके उसे 1/8 पण का दण्ड विधान है। जो व्यक्ति राजमार्ग को गन्दा करे अथवा तोड़े उस पर दुगना दण्ड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार राजमार्ग, पवित्र तीर्थ स्थान, जलाशय, देवालय, कोष्टागार में मल त्याग करने वाले नागरिकों पर पृथक–पृथक दण्ड का विधान किया गया है। राज्य को सुशासित करने हेतु राजा को धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उसक चारों वर्ण, चारों आश्रम, सम्पूर्ण लोकाचार एवं सभी धर्मों का रक्षक घोषित किया है। कौटिल्य राजा से अपेक्षा करता है कि वह प्रजा को अनुशासित करने, धर्म व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा से निर्णय करें। यथा–

चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात्।
नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्म प्रवर्तकः।।
/ार्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्।
विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्वबाधकः।।
अत्र सत्ये स्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिषु।
चरित्रं स[3]ग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्।।13

कौटिल्य का कथन है कि राजा को हमेशा धर्म पूर्वक ही प्रजा पर शासन करना चाहिए। वही उसका निजी धर्म है। वही राजा को स्वर्ग तक ले जाता है। इसके विपरित प्रजा की रक्षा न करना, उसको पीड़ा पहुचाने वाला राजा कभी भी सुखी नहीं रहता है। यथा–

राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः।
अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोऽन्यथा।।

अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया।

न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्।।14

कौटिल्य धर्मशास्त्र एवं राजशास्त्र के मध्य विरोध होने पर राजशास्त्र को ही प्रमाणिक स्वीकार करता है। समाज को सुशासित करने एवं धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहार करने, विवाह सम्बन्ध, स्त्री–पुरूष के पुनर्विवाह, पति–पत्नि व्यवहार, गृहस्थ स्त्रियों एवं गृहस्थ पुरूषों के सामाजिक नियम, दायविभाग (उत्तराधिकारी के सामान्य नियम, पैतृक सम्पत्ति के नियम) आदि का भी सुव्यवस्थित वर्णन किया है। राज्य के सुशासन हेतु कौटिल्य ने राजा के दो प्रकार बताये है। प्रथम अन्धशास्त्र राजा तथा द्वितीय चलितशास्त्र राजा। इन दोनों राजाओं में कौनसा अधिक कल्याणप्रद है? इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने पूर्वाचार्यों के मतों का खण्डन करते हुए चलितशास्त्र राजा की अपेक्षा अन्धशास्त्र राजा को उत्तम बताया है क्योंकि अमात्य बुद्धि से अन्धशास्त्र राजा को सदमार्ग पर लाया जा सकता है। यथा–

> अन्धश्चलितशास्त्रों वा राजेति। अशास्त्रचक्षुरन्धो यत्किंचनकारी दृढ़ाभिनिवेशी परप्रणेयों वा राज्यमन्यायेनोपहन्ति। चलितशास्त्रस्तु यत्र शास्त्राच्चलितमतिर्भवति, शक्यानुनयो भवतीत्याचार्याः।
>
> अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्र तत्र वा पर्यवस्थापयितुमिति। चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यथाभिनिविष्टबुद्धिरन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति।15

इसी तरह राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने एवं विदेश नीति को सुदृढ़ बनाने हेतु कौटिल्य ने मण्डल सिद्धान्त एवं षाडगुण्यनीति की अत्यन्त उपयोगिता प्रतिपादित कि है। कौटिल्य का मण्डल सिद्धान्त जो विभिन्न मण्डलों दर्शाने वाला संकेन्द्रित वृत है। यह इस विचार पर आधारित है कि पडोसी प्राकृतिक शत्रु है। चूकिं भूमि भौतिक कल्याण का स्त्रोत है। इसलिए पड़ोसियों का लक्ष्य भूमि के उसी टुकड़े का अधिग्रहण करना है। इसलिए पड़ोसी शत्रु को वश में करने हेतु कौटिल्य ने 6 सूत्रीय (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रेय एवं द्वैधीभाव) की उपयोगिता प्रतिपादित की है–

एवमन्योन्यसंचारं षाड्गुण्यं योऽनुपश्चति।

स बुद्धिनिगलैर्बद्धैरिष्टं क्रीडति पार्थिवैः।।16

सारांशतया अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म एवं सुशासन की वर्तमान प्रासंगिकता के सम्बन्ध में प्रस्तुत सभी पक्षों और आयामों को मेरे अकिंचन मति के द्वारा सीमित शब्दों एवं परिधि में लिपिबद्ध करना 'उडुपेनसागरतरणसदृश' दुष्कर कार्य है। अतः समस्त समीक्षकों से विनम्र निवेदन है कि वर्तमान संदर्भ में अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म के सम्बन्ध में मेरे विवेचन को स्थालीपुलाकन्याय के समान आंशिक ही समझा जाए, समग्र नहीं।

संदर्भः–

1-कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी। अर्थशास्त्र 2/38/22/1

2-एन.सी.बन्दोपाध्याय, कौटिल्य अनुदित अर्थशास्त्र, पृ0 107।

3-कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1/1/2/5–6।

4-वहीं, अर्थशास्त्र 1/14/18/3–4।

5-वहीं, अर्थशास्त्र 1/1/3/2।

6-वहीं, अर्थशास्त्र 1/1/2/1।

7-वहीं, अर्थशास्त्र 2/17/1/1–2।

8-वहीं, अर्थशास्त्र 1/14/18।

9-वहीं, अर्थशास्त्र 1/14/18/1।

10-डॉ0 आर0 "याम शास्त्री द्वारा अनुदीत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पृ0 171।

11-कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1/4/8/1।

12-वहीं, अर्थशास्त्र 1/5/9/3।

13-वहीं, अर्थशास्त्र 3/56–57/1/1–3।

14-वहीं, अर्थशास्त्र 3/56–57/1/4।

15-वहीं, अर्थशास्त्र 8/128/2/2।

16-वहीं, अर्थशास्त्र 7/124–126/18/4।